प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./01/2014–15/1914-2 दिनांक : 16/7/14

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.) लागू किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय

आप अवगत हैं कि भारत सरकार स्तर पर इस वर्ष राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसका कियान्वयन समस्त राज्यो में उनके द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.) के उद्देश्य एवं मुख्य घटक निम्नवत हैं–

लक्षित समूह (Target Group)

किशोर रणनीति के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के समस्त किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है, इसमे शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले, विवाहित और अविवाहित तथा कमजोर/असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

उद्देश्य–

1. पोषण में सुधार (Improve Nutrition)–

- किशोर लड़के व लड़कियों में कुपोषण की व्यापकता को कम करना।
- किशोर लड़के व लड़कियों में लौह तत्व की कमी से होने वाले रक्तअल्पता की व्यापकता को कम करना।

2. यौन प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार (Enhance Sexual & Reproductive Health)–

- यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सुधार लाना।
- किशोर गर्भधारण को कम करना।
- किशोर माता–पिता को जन्म की तैयारियों, जटिलता तत्परता में सुधार और मातृत्व में सहयोग प्रदान करना।

3. मानसिक स्वास्थ्य को सुधार (Enhance Mental Health)–

- किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं की ओर ध्यान देना।

4. किशोरों में क्षति और हिंसा की रोकथाम (Prevent Injuries and Violence)–

- किशोरों में क्षति और हिंसा को रोकने के लिए अनुकूल दृष्टिकोण को बढावा देना (इसमें लिंग आधरित हिंसा की रोकथाम भी सम्मिलित हैं)

5. नशावृत्ति की रोकथाम (Prevent Substance Abuse)–

- किशोरों में नशावृत्ति के प्रतिकूल प्रभाव और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

6. **गैर संचारी रोगों की रोकथाम** (Prevent Non Communicable Diseases) –

- गैर संचारी रोगों (जैसे कि घात (stroke), हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप) की रोकथाम के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना।

उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति–

क. समुदाय आधारित हस्तक्षेप (Community Based Interventions) :

- पियर एजूकेशन (Peer Education)
- त्रैमासिक किशोर स्वास्थ्य दिवस (Adolescent Health Day)
- साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम (WIFS)
- माहवारी स्वच्छता स्कीम (Menstrual Hygiene Scheme)

ख. संस्थागत आधारित हस्तक्षेप (Facility based Intervention):

- किशोर मित्रवत स्वास्थ्य क्लीनिक का सुदृढ़ीकरण करना (Strengthening of Adolescent Friendly Health Clinic)

ग. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत समन्वय (Convergence):

- परिवार नियोजन, मातृत्व स्वास्थ्य, आर.बी.एस.के., एड्स रोकथाम कार्यक्रम, तम्बाकू रोकथाम कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, गैर संचारी रोगों की रोकथाम व आई.ई.सी. के साथ समन्वय।

(Family Planning, Maternal Health, RBSK, AIDS Control Programme, Tobacco Control Programme, Mental Health Programme, Prevention of NCDs and IEC).

घ. आई0पी0सी0 के माध्यम से सामाजिक बदलाव तथा व्यवहार परिवर्तन लाना

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्थाः–

राज्य समिति–किशोर स्वास्थ्य (State Committee for Adolescent Health - SCAH):–

राज्य स्तर पर किशोर स्वास्थ्य समिति गठित की जाएगी, जो कि अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी और कार्यान्वयन के मुद्दों को सुलझाएगी। यह समिति राज्य स्वास्थ्य समिति की उपसमिति के रूप में कार्य करेगी। समिति की संरचना निम्नवत है:–

अध्यक्ष	–	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
सदस्य	–	प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा/समाज कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/महिला बाल विकास एवं पंचायतीराज। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा।, परियोजना निदेशक–एड्स, निदेशक–शिक्षा, खेलकूद, जनजाति कल्याण, स्वजल, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एव महत्वपूर्ण विकासशील सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि व नामित पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स।
सदस्य सचिव	–	मिशन निदेशक (NHM)

समिति की बैठक वर्ष में दो बार की जायेगी।

कार्यकारिणी समिति– किशोर स्वास्थ्य (Working Committee for Adolescent Health (WCAH)

यह समिति दूसरे विभागों से अभिसरण करने के प्रयासों की देखरेख करेगी। इसका स्वरुप निम्न है–

अध्यक्ष	मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश
सदस्य	महानिदेशक– परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशक–मातृ एवं शिशु कल्याण, शिक्षा, महिला कल्याण बाल विकास, पंचायती राज, खेलकूद, आयुष, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास। महाप्रबन्धक–किशोर स्वास्थ्य, आयुष, परिवार नियोजन, कम्युनिटी प्रोस्सेस, नॉन कम्युनिकेबुल डिजीज़ेज
सदस्य सचिव	संयुक्त निदेशक–किशोर स्वास्थ्य

इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार होगी।

ज़िला समिति - किशोर स्वास्थ्य (District Committee for Adolescent Health -DCAH):–

यह समिति जनपद में कार्यक्रम के नियोजन, संचालन, अनुश्रवण एवं अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए उत्तरदायी होगी। इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

अध्यक्ष	–	जिलाधिकारी
सदस्य	–	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी–आई0सी0डी0एस0, जिला खेलकूद अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–परिवार नियोजन, जिला एड्स अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी, जिला आशा कोऑर्डिनेटर।
सदस्य सचिव	–	जिला नोडल अधिकारी, किशोर स्वास्थ्य।

इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार होगी।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (Village Health, Sanitation and Nutrition Committee) :–

इस समिति की सदस्यता को बढ़ाया जा सकता है तथा इसमें अध्यापकों, (प्राथमिकता महिला अध्यापक) और पीयर एजुकेटर को सम्मिलित किया जा सकता है। इस समिति की कार्य योजना में किशोर स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं, जैसे कि किशोर स्वास्थ्य मेला। यह समितियाँ किशोरों को सेवाएं लेने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करने में निर्णायक सिद्ध हो सकती हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के मुख्य बिन्दुओं व घटकों के अनुसार जनपद स्तर व ग्राम्य स्तर पर प्रस्तावित समितियों का गठन/पुनर्गठन तत्काल करा लिया जाए एवं राज्य स्तर से निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव
चि0स्वा0 एवं प0क0, उ0प्र0 शासन।

पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./01/2014–15/ दिनांकः

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा, समाज कल्याण बाल विकास व पंचायती राज उ0प्र0।
2. डा0 राकेश कुमार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार।
3. महानिदेशक परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक उ0प्र0।
6. समस्त संबंधित अधिकारीगण।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक